खरीफ खरीद नीति 2019–20

संख्या /19–XIX-2/21 खाद्य/2019

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/चम्पावत/देहरादून/पौड़ी/नैनीताल।

3– संभागीय खाद्य नियंत्रक,
गढवाल संभाग, देहरादून/कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

4– महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– निदेशक,
मण्डी परिषद,उत्तराखण्ड,
रूद्रपुर।

6– प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2 देहरादून, दिनाँक 20 सितम्बर,2019

विषय : **खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से धान की क्रय नीति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं0 3(13)/2019–पीवाई–I दिनांक 25.07.2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गुण विनिर्दिष्टियों के आधार पर खाद्यायुक्त के पत्र सं0 1530/आ0वि0शा0/मॉ0ड्रा0/2019–20 दिनांक 06.09.2009 के द्वारा खरीफ विपणन सत्र 2019–20 में कच्चा आढ़तिया के माध्यम से धान की खरीद नीति का प्रस्तावित मॉडल ड्राफ्ट अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ है।

उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ–खरीद सत्र 2019–2020 में दिनांक 01.10.2019 से निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की मण्डियों में कृषकों द्वारा अपनी उपज का विक्रय हेतु लाया गया धान कच्चा आढतिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से कय किया जायेगा। धान की खरीद हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु समय सारिणी, शासनादेश संख्या 732/19–XIX-2/21 खाद्य/2019, दिनाँक 05.09.2019 द्वारा जारी की जा चुकी है। जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2 (1) **धान का मूल्य एवं गुण–विनिर्दिष्टियाँ** :–

खरीफ खरीद सत्र 2019–2020 के लिए विभिन्न श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (क्रय मूल्य) भारत सरकार के पत्र संख्या–3(13)/2019–पी0वाई0–I, दिनाँक 25.07.2019 द्वारा निम्नवत निर्धारित किया गया है :–

धान श्रेणी	मूल्य रूपये प्रति कुन्टल
कामन	1815.00
ग्रेड "ए"	1835.00

2 (2) उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवम् सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा खरीफ खरीद सत्र 2019–20 हेतु धान/कस्टम मिल्ड चावल की गुण–विनिर्दिष्टियां प्राप्त नहीं हुई है।

3–धान का क्रय :–

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 के अर्न्तगत धान का क्रय नामित क्रय संस्थाओं के साथ–साथ कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से भी सुनिश्चित किया जायेगा, जो कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सब एजेन्ट के रूप में कार्य करेंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कच्चा आढ़तिया से धान का क्रय भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप किया जायेगा।

राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवारों, अन्त्योदय अन्न योजना एवं Tide Over Allocation के अर्न्तगत भारत सरकार से प्राप्त चावल के कुल आवंटन की 12 माहों की आवश्यकता एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–3(11)/2019–पी0वाई0–I, दिनाँक 30.07.2019 द्वारा राज्य हेतु निर्धारित धान/चावल क्रय के 7.50/5.00 लाख मी0टन लक्ष्य की पूर्ति के लिये मूल्य समर्थन योजनार्न्तगत क्रय संस्थाओं हेतु निर्धारित किये गये धान क्रय के लक्ष्य 2.00 लाख मी0टन के अतिरिक्त खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 हेतु अवशेष 5.50 लाख मी0टन धान कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत क्रय किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत नामित क्रय संस्थाओं के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य **2.00 लाख** मी0टन धान क्रय की पूर्ति न होने की दशा में क्रय हेतु अवशेष धान की मात्रा भी कच्चा आढ़तिया के माध्यम से क्रय कराने का निर्णय आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा धान खरीद की सम्भागवार समीक्षा उपरान्त लिया जा सकेगा।

4– कच्चा आढ़तियों के माध्यम से धान खरीद की व्यवस्था :–

1. खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत उन्हीं कच्चा आढ़तियों के माध्यम से धान का क्रय किया जायेगा, जिन्हें मण्डी समिति द्वारा खाद्यान्न व्यापार करने हेतु कमीशन एजेन्ट का वैध लाईसेंस प्रदत्त किया गया हो व जो वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत हों। **ऐसे कमीशन एजेन्ट जो पूर्व वर्षों में विभाग द्वारा काली सूची में अंकित किये गये हों या जिनके विरूद्ध खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 की कोई विभागीय कार्यवाही/ देयता प्रचलन में हो, ऐसे कमीशन एजेन्टों को धान क्रय हेतु कदापि नियुक्त नहीं किया जायेगा।**
2. मण्डी समिति से लाईसेन्स प्रदत्त कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) को सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकृत होने उपरान्त ही उन्हें ई–खरीद हेतु तैयार सॉफ्टवेयर में धान खरीद हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की क्रय संस्था के रूप में जोड़ा जायेगा। पंजीकरण के समय प्रत्येक कच्चा आढतिया से धनराशि **₹10.00 लाख (दस लाख मात्र)** की एफ0डी0आर0 जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत की गई हो तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के नामे बंधक हो, प्रतिभूति के रूप में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी ।

3. कच्चा आढ़तिया के माध्यम से धान का क्रय भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विपणन शाखा के माध्यम से किया जायेगा। कच्चा आढ़तिया को भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 के लिए धान कामन/धान ग्रेड–ए हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक प्रतिशत (1%) कमीशन जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप धान क्रय करने पर तथा सुसंगत अभिलेख /साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही अनुमन्य होगा।
4. कच्चा आढ़तिया के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत धान का क्रय दिनाँक **01.10.2019** से प्रारम्भ कर दिनाँक **29.02.2020** तक किया जा सकेगा। मुख्य त्यौहारों हेतु घोषित अवकाश के दिनों में कच्चा आढ़तिया द्वारा धान का क्रय नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि 29.02.2020 के पश्चात किसी भी दशा में धान का क्रय नहीं किया जायेगा।

5– <u>धान खरीद की प्रक्रिया</u> :–

1. कृषकों द्वारा विक्रय हेतु लाये गये धान को मण्डी परिसर में अथवा जिन मण्डी परिसर /यार्ड में खुली नीलामी हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है वहाँ मण्डी परिसर से अन्यंत्र सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र की सीमा में निदेशक/सचिव, मण्डी परिषद द्वारा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चिन्हित स्थानों पर भी उपस्थित व्यापारियों के समक्ष खुली बोली लगाने की व्यवस्था मण्डी समितियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। धान की अधिकतम बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम प्राप्त होने पर तथा धान भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाये जाने पर ही कच्चा आढ़तिया द्वारा प्रचलित ई–खरीद सॉफ्टवेयर पर किसान का पंजीकरण किया जायेगा। किसान से समस्त वांछित सूचनाएं मौके पर प्राप्त कर ई–खरीद सॉफ्टवेयर में उसका अंकन किया जायेगा तत्पश्चात ही किसान का धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किया जायेगा। इस कार्य हेतु मण्डी समिति नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी तथा मण्डियों में प्रतिस्पर्धापूर्ण ढंग से धान की नीलामी की व्यवस्था कराना भी सुनिश्चित करायेगी। मण्डी समिति द्वारा धान क्रय हेतु निर्धारित सभी विपत्रों का रखरखाव एवं प्रतिदिन खरीद का लेखा–जोखा भी रखा जायेगा। कच्चा आढ़तिया द्वारा किसानों से सम्बन्धित समस्त जानकारी खाद्य विभाग/अन्य निरीक्षण एजेन्सियों की आवश्यकता पड़ने पर कच्चा आढ़तिया द्वारा कृषकों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगी।
2. मण्डियों में कृषकों को उनकी उपज का धान वाहन से उतारने, धान की सफाई–छनाई आदि की सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व कच्चा आढतिया का होगा। इसके लिये उसके द्वारा मण्डी समिति की निर्धारित दरों पर कृषकों से भुगतान प्राप्त किया जायेगा। यदि कृषक द्वारा उक्त समस्त कार्य स्वयं ही सम्पन्न किया जाता है व कच्चा आढ़तिया की सेवायें नहीं ली जाती हैं तो कच्चा आढतिया को उक्त भुगतान देय नहीं होगा।
3. कच्चा आढ़तिया द्वारा क्रय किये गये धान का संचरण/कुटाई सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग द्वारा निर्दिष्ट चावल मिल में करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

3(1)–सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा केन्द्रों पर क्रय किये धान की कुटाई का कार्य अपने कार्यालय में पंजीकृत चावल मिलों से उनके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति की धनराशि, सत्यापित कुटाई क्षमता एवं साख के आधार पर चयनित मिलों से करायी जायेगी।

3(2)–सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा कच्चा आढतिया के लिये केन्द्रवार धान क्रय का लक्ष्य उपलब्ध मण्डियों में धान की आवक की समीक्षा उपरान्त निर्धारित किया जायेगा। **इस हेतु कुमायूँ सम्भाग के लिए 5.00 लाख मी0टन तथा गढ़वाल सम्भाग के लिए 0.50 लाख मी0टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।**

3(3)–सम्बन्धित क्रय केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा कच्चा आढतिया के माध्यम से क्रय धान भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों का होने पर तथा गुणवत्ता/वजन से संतुष्ट होने के उपरान्त ही सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट चावल मिल हेतु मूवमेंट चालान जारी किया जायेगा तथा चावल मिलर्स को मौके पर ही धान हस्तगत कराकर एक अभिरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

3(4)–निर्दिष्ट चावल मिलर द्वारा कच्चा आढ़तिया के माध्यम से क्रय धान की मात्रा वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक से धान की गुणवत्ता, वजन तथा बोरों की गुणवत्ता से पूर्णतः संतुष्ट होने उपरान्त ही अपनी अभिरक्षा में लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में अभिरक्षा प्रमाण पत्र पर ही स्पष्ट अंकन करते हुये चावल मिलर द्वारा धान की प्राप्ति वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक को दी जायेगी ।

3(5)–चावल मिलर को धान/बोरों/वजन/गुणवत्ता की संतुष्टि उपरान्त अपनी मिल हेतु निर्गत मूवमेंट चालान के आधार पर क्रय धान का परिवहन स्वयं कराना होगा। मिलर द्वारा अपनी अभिरक्षा में धान प्राप्त करने के उपरान्त उसके मिल परिसर तक परिवहन कराने तथा मिल में पहुँचाने के पश्चात उसके निस्तारण तक धान के वजन, गुणवत्ता एवं सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी प्राप्तकर्ता चावल मिलर की होगी।

3(6)–जिन चावल मिलों द्वारा गत वर्षों का कस्टम मिल्ड चावल,धान तथा विभागीय बोरे विभाग को वापस न किये गये हों ऐसे चावल मिलर्स को धान तब तक कुटाई हेतु नहीं दिया जायेगा जब तक कि उनके द्वारा गत वर्षों का समस्त बकाया सी0एम0आर0/बोरे विभाग को वापस न कर दिये जायें।

3(7)–धान की कुटाई उपरान्त कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित स्टेटपूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपो पर किया जायेगा।

3(8)–किराये पर चलाई जा रही ऐसी चावल मिलों को धान कुटाई हेतु इस शर्त के साथ दिया जायेगा कि वह चावल मिल के मूल मालिक एवं दो अन्य प्रतिष्ठित चावल मिलों की गारन्टी उपलब्ध करायेगा जिस पर सम्बन्धित क्षेत्र के उपसम्भागीय विपणन अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति अंकित की जानी अनिवार्य होगी। क्रय धान की कुटाई हेतु चावल मिलों के चयन के समय सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी/उपसम्भागीय विपणन अधिकारी की सुस्पष्ट संस्तुति भी प्राप्त की जायेगी।

3(9)–कच्चा आढ़तियों के माध्यम से क्रय धान की कुटाई हेतु सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा क्रय–केन्द्रों से निकटतम चावल मिलों से इस प्रकार सम्बद्ध किया जायेगा कि राज्य सरकार को परिवहन मद में कम से कम व्यय वहन करना पडे ।

3(10)–खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों से भिन्न धान का क्रय किसी भी केन्द्र पर कच्चा आढ़तिया द्वारा कदापि नहीं किया जायेगा।

3(11)–भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में फोर्टिफाईड चावल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कराया जाना है। इस हेतु ऊधमसिंहनगर जनपद के जसपुर ब्लॉक को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है। चयनित ब्लॉक में भविष्य में फोर्टिफाईड चावल का वितरण कार्डधारकों को कराया जाना है। अतः इस हेतु

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व ही 04 मिलों का चयन करेंगे जो सत्र में खरीदे गये धान से फोर्टिफाईड चावल तैयार कर ब्लॉक के कार्डधारकों में वितरण हेतु उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु चावल मिलों को पृथक से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान की व्यवस्था की जायेगी। फोर्टिफाईड चावल का संग्रहण मात्र जसपुर केन्द्र पर केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भण्डारण निगम के गोदामों में आरक्षित संग्रहण क्षमता में किया जायेगा ताकि मासिक/वार्षिक आवश्यकतानुसार केन्द्र से सम्बद्ध उचित दर विक्रेताओं को निर्गत किया जा सके। फोर्टिफार्डड चावल का संचरण अन्य किसी डिपो हेतु नहीं किया जायेगा।

6–<u>क्रय केन्द्रों पर काँटों तथा बाँटों का सत्यापन</u> :–

6(1)–समस्त क्रय केन्द्रों व भण्डारण डिपो पर सुनिश्चित किया जायेगा कि सही बांट तथा माप का प्रयोग हो, सही तौलाई की जाये तथा यह उपकरण बांट माप विभाग से सत्यापित हों। मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये इलैक्ट्रोनिक कांटों का मुद्रांकन अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जायेगा।

6(2)–क्रय केन्द्रों व भण्डारण डिपो पर सही तौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद में जिला खरीद अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जायगी जिसके सदस्य विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारी, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी व सहायक निबन्धक होंगे।

6(3)–क्रय सत्र के दौरान खराब इलैक्ट्रोनिक काँटों को तत्काल ठीक करने के उददेश्य से मण्डी समितियां 01 मैकेनिक नामित करेगी व उसका मोबाइल नम्बर सभी कय केन्द्रों को परिचालित करेंगी।

7–<u>क्रय एजेंसियों हेतु बोरे की व्यवस्था</u> :–

7(1)–कच्चा आढ़तिया हेतु धान क्रय के लिये जूट बोरों की व्यवस्था खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। धान क्रय के लिये क्रय संस्थाओं द्वारा बोरों की अपनी तात्कालिक आवश्यकता सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी को प्रेषित की जायेगी, जिसे वरिष्ठ विपणन अधिकारी द्वारा वास्तविक आवश्यकता का आंकलन कर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रेषित किया जायेगा। कच्चा आढ़तिया को बोरों की पूर्ति के लिये सम्भागीय खाद्य नियंत्रक उत्तरदायी होंगे। खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 में भारत सरकार के निर्देशानुसार नया जूट बोरा केवल कस्टम मिल्ड चावल भरने हेतु दिया जायेगा इस हेतु क्रय धान की जाने वाली धान की मात्रा का कम से कम 50 प्रतिशत धान ऐसे नये जूट बोरों में भरा जायेगा जिसमें बाद में चावल भरकर स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जा सके।

दोनों सम्भागों में वर्तमान में रबी खरीद सत्र 2019–20 के नये जूट बोरे अवशेष हैं जिन्हें खरीफ खरीद सत्र 2019–20 में प्रयुक्त करने हेतु भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जा रही है। अतः सम्भागीय खाद्य नियंत्रक सर्वप्रथम रबी–विपणन सत्र 2019–20 के अवशेष बोरों का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे। चूंकि उक्त अवशेष बोरों का सत्यापन भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जायेगा अतएव उक्त बोरे जिन केन्द्रों पर संग्रहित हैं अथवा जिन कय केन्द्रों हेतु दिये जायेंगे उसका लेखा जोखा पृथक से रखा जायेगा ताकि सत्यापन करने पर किसी प्रकार की असुविधा न होने पावे।

7(2)–अवशेष 50 प्रतिशत कय किये जाने वाले धान को पुराने जूट बोरों में भरा जा सकेगा। यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि इन बोरों में धान की मात्रा व गुणवत्ता प्रभावित न हो। किसी प्रकार की हानि के लिए कच्चा आढ़तिया पूर्ण रूप से उत्तरदायी

होगा। धान क्रय हेतु ऐसे पुराने जूट बोरों की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित कच्चा आढ़तिया का होगा। इस निमित्त भारत सरकार की खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 हेतु जारी कॉस्टशीट के अनुरूप स्वीकृत यूजेज चार्जेज, अपेक्षित अभिलेख व बोरों का लेखा– जोखा आदि उपलब्ध कराने पर ही कच्चा आढ़तिया को अनुमन्य होंगे।

कच्चा आढ़तिया यदि पुराने जूट बोरों की उपलब्धता बना पाने में असमर्थ रहता हैं तो वे इस सम्बन्ध में वरिष्ठ विपणन अधिकारी को अवगत करायेंगे तथा वरिष्ठ विपणन अधिकारी सम्भागीय खाद्य नियंत्रक से अनुमति प्राप्त कर कच्चा आढ़तिया की आवश्यकतानुसार पुराने जूट बोरों की उपलब्धता बनाने हेतु कार्यवही सुनिश्चित करेंगे।

7(3)–बोरों में धान की भर्ती शुद्ध वजन 40.00 कि0ग्रा0 व चावल की भर्ती शुद्ध वजन 50.00 कि0ग्रा0 के आधार पर की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढवाल/कुमायूँ सम्भाग विभाग के पास संग्रहित नये बोरे धान खरीद हेतु धान क्रय केन्द्रों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

यदि स्टेटपूल डिपो अथवा भारतीय खाद्य निगम डिपो पर कस्टम मिल्ड चावल के सम्प्रदान करने पर बोरे अधोमानक पाये जाते हैं तो इसके लिये सम्बन्धित चावल मिलर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। प्राप्तकर्ता डिपो प्रभारी किसी भी दशा में अधोमानक बोरों में कस्टम मिल्ड चावल प्राप्त नहीं करेंगे।

7(4)–चूंकि समस्त एस0बी0टी0 कुमायूँ सम्भाग में ही प्राप्त होने हैं, ऐसी स्थिति में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल सम्भाग अपने सम्भाग हेतु रूद्रपुर कोलकाता से कॉनकोर डिपो रूद्रपुर के माध्यम से प्राप्त होने वाले एस0बी0टी0 को गढवाल सम्भाग के केन्द्रों पर प्रेषित करने हेतु सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ सम्भाग से सम्पर्क में रहेंगे तथा बोरों की मांग प्राप्त होने पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ सम्भाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर गढ़वाल सम्भाग हेतु इनका संचरण कराया जायेगा।

7(5)–खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 हेतु 2.00 करोड नये एस0बी0टी0 की मांग पटसन आयुक्त, कोलकाता को भेजी गयी है जिनकी प्राप्ति माह सितम्बर, 2019 के अंत तक सम्भावित है। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि बोरों की आवश्यकता के दृष्टिगत कच्चा आढ़तिया/चावल मिलर्स से नये एस0बी0टी0 लिये जाने का निर्णय लिया जाता हैं तो धान/कस्टम मिल्ड चावल में प्रयुक्त प्रत्येक नये एस0बी0टी0 पर **"उत्तराखण्ड सरकार"** एवं खरीफ–खरीद सत्र 2019–20, क्रय केन्द्र का नाम व चावल की किस्म गहरे रंग के स्टैन्सिल से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा जो कि स्पष्ट व पठनीय हो।

इसी प्रकार यदि कस्टम मिल्ड चावल की डिलीवरी स्टेट पूल डिपो अथवा भारतीय खाद्य निगम डिपो पर बोरे अधोमानक (Sub Standard) पायी जाती है तो इसके लिये सम्बन्धित चावल मिलर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। यदि निरीक्षण में यह अनियमितता प्रकाश में आती है तो प्रेषणकर्ता/प्राप्तकर्ता कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

08–<u>कच्चा आढ़तियों को धान के मूल्य का भुगतान</u> :–

8(1)–न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत कृषकों से क्रय किये गये धान के मूल्य का भुगतान कच्चा आढ़तिया द्वारा अधिकतम 48 घंटे में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सम्बन्धित कृषक के खाते में सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रत्येक दिवस की खरीद समाप्ति उपरान्त उसे ई–खरीद पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा। चैक के माध्यम से किये गये भुगतान को मान्यता नहीं दी जायेगी।

8(2)–खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार कच्चा आढ़तियों के माध्यम से क्रय किये गये धान का भुगतान करने हेतु धनराशि की व्यवस्था वित्त नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8(3)–कच्चा आढ़तिया द्वारा कृषकों को किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों/संस्तुति के आधार पर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से की जायेगी।

8(4)–कच्चा आढ़तिया द्वारा क्रय किया गया धान कुटाई हेतु सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा चयनित चावल मिल को हस्तगत कराने उपरान्त भुगतान प्राप्त करने हेतु वरिष्ठ विपणन अधिकारी को 9–आर (कच्चा आढ़तियों के बिल) कृषकों से धान खरीद की पुष्टि हेतु 6–आर की स्वप्रमाणित छायाप्रति (समस्त प्रविष्टियों का अंकन अनिवार्यतः), कृषकों को किये गये आर0टी0जी0एस0 भुगतान, मण्डी शुल्क, मण्डी लेबर चार्जेज, हैण्डलिंग चार्जेज, नये तथा पुराने बोरों से सम्बन्धित समस्त साक्ष्य संलग्न किये जाने अनिवार्य होंगे।

सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी द्वारा प्राप्त विपत्रों का परीक्षण/पुष्टि करने के उपरान्त ही अपनी संस्तुति सहित इन्हें भुगतान हेतु सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी के कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा तथा केन्द्र पर बिल प्रेषण की मिलवार/कच्चा आढ़तियावार पंजिका तैयार की जायेगी।

सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी द्वारा केन्द्रों से विपत्र प्राप्त होने पर कच्चा आढ़तियों के पक्ष में विलम्बतम 01 सप्ताह में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से आयकर अधिनियम–1956 के अधीन सुसंगत नियमों के अधीन आयकर की कटौती कर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

8(5)–कच्चा आढ़तिया द्वारा धान क्रय हेतु किये गये हैण्डलिंग कार्य के व्यय की प्रतिपूर्ति उनके द्वारा श्रमिकों को भुगतान किये गये साक्ष्यों को संलग्न करते हुये प्रस्तुत बिल के अनुसार केन्द्र प्रभारी की संस्तुति पर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य) द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। इस निमित्त कच्चा आढ़तिया को हैण्डलिंग चार्जेज का भुगतान भारत सरकार द्वारा खरीफ–विपणन सत्र 2019–20 हेतु जारी सी0एम0आर0 की अनन्तिम कॉस्टिंगशीट में अनुमन्य हैण्डलिंग दरों के अनुसार किया जायेगा जो कि अधिकतम होगी।

8(6)–खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 में धान क्रय–केन्द्र से चावल मिल तक धान का परिवहन कराने तथा धान की कुटाई उपरान्त निर्मित कस्टम मिल्ड चावल को स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक परिवहन कराने हेतु जिस चावल मिलर को धान कुटाई हेतु अधिकृत किया जायेगा **उसी चावल मिलर द्वारा ही क्रय धान/उदग्रहित कस्टम मिल्ड चावल का संचरण सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो पर सुनिश्चित कराया जायेगा।**

8(7)–चावल मिलर्स को भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 हेतु जारी कॉस्टिंग शीट में स्वीकृत 01 प्रतिशत सूखन (Driage) का भुगतान भी अनुमन्य होगा।

8(8)–क्रय केन्द्रों से चावल मिल परिसर तक धान के परिवहन तथा चावल मिलों से स्टेटपूल /भारतीय खाद्य निगम डिपो तक कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान चावल मिलर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। इस हेतु चावल मिलर को खरीफ–खरीद 2019–20 की भांति कुटाई/परिवहन दरें कास्टशीट में प्राविधानित व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी। इस हेतु जिलाधिकारी द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 हेतु स्वीकृत परिवहन दरें अथवा भारतीय खाद्य निगम की दरें, जो भी कम हों, अनुमन्य होगी।

8(9)–कच्चा आढ़तियों को एक प्रतिशत आढ़तिया कमीशन तथा हैण्डलिंग व्यय का भुगतान निर्धारित दरों पर नियमानुसार टीडीएस की कटौती करने उपरान्त सुनिश्चित किया जायेगा तथा कटौती की गई धनराशि को सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य) द्वारा सुसंगत

लेखाशीर्षक में जमा कराकर इसकी मासिक सूचना वित्त नियंत्रक को उपलब्ध करायी जायेगी।

09– कच्चा आढ़तिया द्वारा केन्द्र पर रखे जाने वाले अभिलेख :–

कच्चा आढ़तिया द्वारा धान क्रय हेतु निम्नलिखित अभिलेख अनिवार्य रूप से रखे जायेंगे :–

(01) कच्चा आढ़तिया पंजिका। **(02)** धान की क्वालिटी का विश्लेषण रजिस्टर।
(03) मूवमेन्ट चालान। **(04)** स्टाक रजिस्टर।
(05) बोरा रजिस्टर। **(06)** बिल बुक।
(07) निरीक्षण पंजिका। **(08)** रिजैक्सन पंजिका।
(09) मिलवार धान प्रेषण एवम् चावल प्राप्ति पंजिका।
(10) प्रतिदिन आर0टी0जी0एस0 से किये गये भुगतान का विवरण।

10– चावल मिलर द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख :–

चावल मिलर को कुटाई हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कच्चा आढ़तिया से खरीदे गये धान के सम्बन्ध में निम्नलिखित अभिलेख पृथक से अनिवार्य रूप से रखे जायेंगे:–

(01) धान प्राप्ति का स्टाक पंजिका।
(02) धान कुटाई पंजिका।
(03) बोरा पंजिका।
(04) सी0एम0आर0 सम्प्रदान पंजिका।

11–धान की बोरों में भराई सिलाई एवं स्टेन्सिलिगं :–

11(1)–कच्चा आढ़तिया द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मण्डियों में कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये धान को प्रति एस0बी0टी0 40 कि0ग्रा0 वजन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपलब्ध कराये नये एस0बी0टी0 में उल्टा भरकर तथा एक बार प्रयोग बोरों में 12 टाँकों से मजबूत सुतली की सिलाई कर प्रत्येक बोरे पर खरीद वर्ष, भराई की तिथि, कच्चा आढ़तिया का कोड, जो कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा केन्द्रवार आवंटित किया जायेगा, धान का ग्रेड़ तथा भरते समय धान का वजन चटक रंग से स्टेंसिलिंग कराया जायेगा, जिससे पढ़ने में सुविधा हो एवं यह भी स्पष्ट हो सके कि उक्त धान किस कच्चा आढ़तिया द्वारा किस केन्द्र पर क्रय किया गया है।

चावल मिलर द्वारा मिल को प्रेषित किये गये धान की कुटाई करने के उपरान्त नये एस0बी0टी0 को सीधा करके कस्टम मिल्ड चावल भरा जायेगा तथा उसमें मिल का मार्का अंकित किया जायेगा। कच्चा आढ़तिया को भारत सरकार की कॉस्टशीट के अनुरूप यूजेज चार्जेज अपेक्षित अभिलेखों व बोरा का लेखा–जोखा आदि उपलब्ध कराने पर ही अनुमन्य होंगे। यूजेज चार्जेज का भुगतान वरिष्ठ विपणन अधिकारी की संस्तुति उपरान्त सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

11(2)–कच्चा आढ़तियों द्वारा उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टेसिलिंग न करने पर वरिष्ठ विपणन अधिकारी/कय केन्द्र प्रभारी की संस्तुति पर कच्चा आढ़तिया के विपत्रों से यथा स्थिति निम्न प्रकार कटौतियॉ की जायेगी :–

(अ)–खराब सिलाई 12 टाँको से कम तथा खराब सुतली लगाने पर 75 पैसे प्रति एस0बी0टी0

(ब)–स्टेंन्सिल न करने या खराब करने पर ₹1.00 प्रति एस0बी0टी0 तथा कैनवास स्लिप न लगाने पर 0.50 पैसे प्रति एस0बी0टी0।

12– स्टेंसिलिंग/ब्रान्डिंग एवं कलर कोडिंग हेतु रंगों का प्रयोग निम्न प्रकार किया जायेगा :–

12(1)–भारत सरकार के पत्र संख्या–15(1)/2012–पी0वाई0.III(ई0 फाईल–318639) दिनाँक 08.05.2019 द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 में चावल क्रय में प्रयुक्त होने वाले नये एस0बी0टी0 (50 कि0ग्रा0) बोरों पर निम्नानुसार कलर कोडिंग/स्टैन्सलिंग की जायेगी:–

(a) Stancil or Branding as per Iindenters' requirements shall be in " BLUE" colour.

(b) Marking or Stitching on the mouth of the bag after filling the grain will be done by the FCI/State Agencies in "BLUE" colour.

(c) For indentification marketing or marketing season, there will be color coded strip/s. on every jute bag. Width of the each strip will be of 4 threads. Each strip will be running along the length of the Bag and shall be in "BLUE" color.

For Bags to be supplied through Jute Commissioner of India.

(d) (i)-Single Strip is to be printed for bags to be supplied through Jute Commissioner of India. This Singhle strip shall be printed at a distance of about 150 mm away from any selvedge of the bag.

For bags not purchased through Jute Commissioner of India.

(e)- For Jute bags not purchased through Jute Commissioner of India, two strips shall be printed on each. Each of two strips shall be printed at a distance of about 150mm away from the respective selvedges of each bag.

12(2)–चावल मिलर्स द्वारा कस्टम मिल्ड चावल के प्रत्येक बोरे के मुँह पर बाहर की ओर मशीन से सिलाई द्वारा 15x10 सेमी0 आकार की रैक्सीन/कैनवास की स्लिप, जिसमें चावल मिल का नाम, फसलवर्ष, कोड नम्बर, लाट संख्या, चावल की किस्म एवं चावल मिलर का मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।

13–धान की आमद व बाजार भाव की समीक्षा :–

जिला स्तर पर जिलाधिकारी, उपसम्भागीय विपणन अधिकारी तथा सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा मण्डियों एवं क्रय–केन्द्रो पर धान के बाजार भाव एवं धान के आवक की नियमित समीक्षा की जायेगी। जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जिसमें सरकारी क्रय एजेन्सियों तथा कच्चा आढ़तिया द्वारा केन्द्रवार क्रय किये गये धान की स्थिति की समीक्षा की जायेगी। साथ ही धान क्रय के सबंध में की गई शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रकोष्ठ कार्यालय दिवसों में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक क्रियाशील रखे जायेगें।

मण्डी निदेशक के स्तर से प्रतिदिन स्थानीय मण्डियों में होने वाली धान की आवक एवं दैनिक बाजार भाव की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

13(1) सम्भागीय स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक तथा जनपद स्तर पर उप सम्भागीय विपणन अधिकारी क्रय संस्थाओं/कच्चा आढ़तिया के माध्यम से धान क्रय की नियमित समीक्षा की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्रों पर डिस्ट्रेस सेल की स्थिति उत्पन्न न हो। जहाँ भी धान के बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम

होने की सूचना प्राप्त हो अथवा कृषकों द्वारा डिस्ट्रेस सेल की संभावना प्रतीत हो वहाँ तत्परतापूर्वक सरकारी क्रय संस्थाओं द्वारा धान का क्रय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार क्रय–केन्द्र तत्काल खुलवाकर खरीद की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

13(2) खाद्यायुक्त कार्यालय में धान खरीद एवं उद्ग्रहित कस्टम मिल्ड चावल का नियमित अनुश्रवण मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्यायुक्त कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय संस्थाओं द्वारा प्रतिदिन क्रीत धान खरीद/कस्टम मिल्ड चावल की संकलित सूचना खाद्यायुक्त को ई–मेल–foodcommfcs@gmail.com पर तथा खाद्यायुक्त द्वारा साप्ताहिक आख्या प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत की जायेगी ।

14–<u>धान एवं कस्टम मिल्ड चावल के निरीक्षण हेतु दायित्व</u> :–

14(1)–प्रभावी एवं सुचारू रूप से धान खरीद सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक केन्द्र/चावल मिल को सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी द्वारा अपने अधीन तैनात विपणन निरीक्षक के सीधे नियंत्रण व पर्यवेक्षण में सम्बद्ध किया जायेगा, जो प्रतिदिन संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन करेगा और उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी को देगा।

14(2)–वरिष्ठ विपणन अधिकारी भी स्वयं चावल मिलों में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन करेगें और अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट उप सम्भागीय विपणन अधिकारी को प्रेषित करेगें।

14(3)–उप सम्भागीय विपणन अधिकारी स्वयं प्रत्येक पक्ष में चयनित राईस मिल के गोदाम में संग्रहित राजकीय धान एवं उससे उत्पादित कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा की जाँच करेगें और जाँच के उपरान्त अपनी पाक्षिक रिपोर्ट सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रस्तुत करेगें, जिसकी एक प्रति खाद्यायुक्त को प्रेषित की जायेगी।

14(4)–उप सम्भागीय विपणन अधिकारी स्वयं रेण्डम आधार पर 10 प्रतिशत चयनित चावल मिलों में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता व स्टॉक का सत्यापन करेगें तथा पाक्षिक रिपोर्ट सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रस्तुत करेंगे, जिसकी एक प्रति खाद्यायुक्त को प्रेषित की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक भी चयनित मिल परिसर में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा की जाँच से सम्बन्धित रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और उसकी मासिक रिपोर्ट खाद्यायुक्त को प्रेषित करेंगे।

14(5)–समय–समय पर अपने अधीनस्थ स्टॉफ से रिपोर्ट न मिलने पर या अपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने की दशा में उससे उच्च अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह तत्काल चयनित मिल या वरिष्ठ विपणन अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आने वाली मिल में भण्डारित संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल के स्टॉक की आकस्मिक जाँच करें तथा उसकी रिपोर्ट प्रेषित करें।

14(6)–खाद्य आयुक्त द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा भी समय–समय पर क्रय केन्द्रों एवं चावल मिलों में संग्रहित राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता व स्टॉक का सत्यापन करेगें तथा अपनी रिपोर्ट खाद्य आयुक्त को उपलब्ध करायेगें ।

14(7)–चयनित मिल में संग्रहित राजकीय धान एवं उत्पादित कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता व स्टॉक की जाँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चावल मिल के स्टॉक की क्रॉस चैकिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एक केन्द्र/

जिले के स्टॉफ को दूसरे केन्द्र/जिले में भेजकर रैण्डम आधार पर समय–समय पर चावल मिल में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता व स्टॉक का सत्यापन करायेंगे।

15–खरीदे गये धान का निस्तारण :–

15(1)–क्रय संस्थाओं द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत दिनाँक 01–10–2019 से क्रय–केन्द्रों पर क्रय किये गये धान को चावल मिलों से कुटाई कराकर निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान दिनाँक 30–07–2020 तक विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत निर्दिष्ट स्टेट पूल डिपो में किया जायेगा। स्टेटपूल योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य से अधिक कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा।

15(2)–खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 में क्रय संस्थाओं द्वारा ही अपने क्रय केन्द्रों पर क्रीत धान की कुटाई सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकृत चावल मिलों से कराई जायेगी।

16–धान की कुटाई हेतु विपणन निरीक्षक/वरिष्ठ विपणन अधिकारी के दायित्व :–

वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक सम्बन्धित चावल मिलों में धान/कस्टम मिल्ड चावल के स्टॉक की नियमित रूप से जाँच करते रहेंगे तथा यह सुनिश्चित करते रहेंगे कि चावल मिलर्स को राज्य सरकार द्वारा कुटाई हेतु दिया गया धान चोरी अथवा खुर्द–बुर्द न होने पावे। इस हेतु वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक निरंतर अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में पडने वाली ऐसी चावल मिलों का निरीक्षण करेंगे, जिन्हें राजकीय धान कुटाई हेतु उपलब्ध कराया गया है। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने की दशा में सम्बन्धित चावल मिलर्स के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा सूचना तत्काल उप सम्भागीय विपणन अधिकारी तथा सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक को प्रेषित की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा भी दोषी चावल मिलर के विरूद्व तत्काल अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

17–कच्चा आढ़तिया द्वारा खरीदे गये धान की कस्टम हलिंग :–

17(1)–धान की कुटाई के लिए सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक वरिष्ठ विपणन अधिकारी एवं उप सम्भागीय विपणन अधिकारी की संस्तुति पर केन्द्रवार चावल मिलर्स का चयन करेंगे एवं उसी चावल मिलर को क्रय धान कुटाई हेतु देने का निर्णय लेगें जो कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकृत होगा तथा ई–खरीद सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित हो। इस हेतु सम्भागीय खाद्य नियंत्रक सम्बन्धित क्षेत्र के उप सम्भागीय विपणन अधिकारी की आख्या प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

17(2)–क्रय केन्द्रों पर कच्चा आढतिया के माध्यम से क्रय किया गया धान चावल मिलों को उनकी जमा प्रतिभूति, कुटाई क्षमता, क्षमता के अनुरूप विद्युत संयोजन, गत वर्षों में की गयी धान की कुटाई व साख के अनुसार सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा आवटिंत किया जायेगा ।

17(3)–धान की कुटाई के लिए सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा क्रय केन्द्रो को सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में पड़ने वाली चावल मिलों से इस प्रकार सम्बद्व किया जायेगा कि परिवहन मद में कम से कम व्यय भार देना पडे। इसी प्रकार चावल मिलों को भी दूरी के आधार पर निकटतम स्टेटपूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपो से सम्बद्ध किया जायेगा, ताकि परिवहन मद में कम से कम व्यय भार पड़े।

17(4)–चावल मिलर को कुटाई हेतु उपलब्ध कराये गये राजकीय धान से निर्मित होने वाले कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति, धान दिये जाने की तिथि से अधिकतम् 15 दिन में

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई चावल मिलर कस्टम मिल्ड चावल देने में विलम्ब करता है तो सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा इसकी सूचना तत्काल उपसम्भागीय विपणन अधिकारी को दी जायेगी ।

17(5)–सम्बन्धित क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय धान की कुटाई हेतु चयनित चावल मिलर्स से निर्धारित प्रारूप पर एक अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा। जिस चावल मिलर को धान कुटाई हेतु उपलब्ध कराया जायेगा, वह सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकरण के समय सम्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के साथ एक सप्ताह के अन्दर चावल मिल की कुटाई क्षमता के आधार पर प्रति टन 4.00 लाख रूपये तथा पट्टे/किराये पर संचालित की जा रही चावल मिलों से उनकी कुटाई क्षमता प्रति टन 5.00 लाख रूपये अथवा अधिकतम 25.00 लाख रूपये की एफ0डी0आर0 प्रतिभूति (जो कि खरीफ खरीद सत्र 2019–20 की समाप्ति तक वैद्य होगी) के रूप में जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत की गयी हो तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के नामे बंधक हो, उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगी। जमा की गयी एफ0डी0आर0 के समतुल्य ही धान हलिंग हेतु चावल मिलर्स को दिया जायेगा एवं सामान्य परिस्थिति में इस प्रकार दिये गये धान के सापेक्ष देय समस्त कस्टम मिल्ड चावल स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही चावल मिलर्स को अग्रेत्तर धान क्रय केन्द्र से हलिंग हेतु दिया जायेगा। एफ0डी0आर0 की धनराशि से अधिक क्रय धान की मात्रा हलिंग हेतु देने की स्थिति यदि बनती है, तो चावल मिलर से क्षतिपूर्ति बॉन्ड (Indemnity Bond) प्राप्त कर इसके सापेक्ष धान हलिंग हेतु दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। चावल मिलर्स से अनुबन्ध सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा सम्पादित किया जायेगा। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक नियमानुसार एफ0डी0आर0/क्षतिपूर्ति बॉन्ड (Indemnity Bond) आदि के जब्तीकरण की कार्यवाही आवश्यकता पड़ने पर कर सकेंगे। चावल मिल स्वामी, भागीदार की चल–अचल सम्पत्ति का विवरण, हैसियत प्रमाण पत्र, क्षतिपूर्ति बॉन्ड (Indemnity Bond), अनुबन्ध–पत्र, बैंक गांरटी आदि की मूल प्राप्तियां सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में संरक्षित रखी जायेंगी तथा छायाप्रतियां केन्द्र व उप सम्भागीय विपणन अधिकारी कार्यालय में रखी जायेंगी। केन्द्र/जनपदीय/सम्भागीय कार्यालय में एक पंजीका बनाकर उक्त का लेखा–जोखा भी रखा जायेगा। मिलर्स की देयता समाप्त होने पर ही नियमानुसार सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी की संस्तुति उपरान्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा प्रतिभूति वापस की जायेगी।

17(6)–चावल मिलों को उपलब्ध कराया गया धान/कस्टम मिल्ड चावल सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा किसी बैंक अथवा संस्था में बन्धक नहीं रखा जायेगा। यदि इस प्रकार की जानकारी संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित चावल मिलर के विरूद्व तत्काल वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उसे काली सूची में डालने की कार्यवाही सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

17(7)–धान की कुटाई हेतु चावल मिलों का चयन चावल मिलों से स्टेट पूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपो की दूरी को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

17(8)–कुटाई के लिए धान से निर्मित चावल की रिकवरी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अरवा के लिये 67 प्रतिशत तथा सेला के लिये 68 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

17(9)–कुटाई के लिए चुनी गई चावल मिल द्वारा मिल परिसर में राजकीय धान की कुटाई/कच्चा आढतिया द्वारा क्रय तथा स्वयं क्रय किये गये धान एवं इसकी कुटाई से सबंधित अभिलेख पृथक–पृथक रखे जायेंगे, ताकि निरीक्षण/सत्यापन के समय स्टाक सत्यापित

किये जाने पर किसी प्रकार की असुविधा न होने पावे। इसी प्रकार केन्द्रो पर भी कच्चा आढ़तिया के माध्यम से क्रय किये गये धान और प्राप्त कस्टम मिल्ड चावल से संबंधित अभिलेख पृथक–पृथक रखे जायेंगे ।

17(10)–धान की कुटाई से सबंधित सूचना उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिदिन ई–मेल के माध्यम से खाद्य विभाग के जनपदीय/सम्भागीय/खाद्य आयुक्त कार्यालय में स्थापित खाद्य नियत्रण कक्ष को प्रेषित की जायेगी।

18– <u>सी0एम0आर0 का सम्प्रदान</u> :–

18(1)–सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल डिपो पर चावल मिलर्स द्वारा कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में किया जायेगा, यदि स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में प्रेषित किया गया कस्टम मिल्ड चावल भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 हेतु निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तथा प्राप्तकर्ता डिपो प्रभारियों द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया जाता है तो चावल मिलर द्वारा कस्टम मिल्ड चावल का प्रतिस्थापन लॉट अपने मिल में उपलब्ध चावल की मात्रा से पुनः स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान किया जायेगा और ऐसी स्थिति में चावल मिलर को परिवहन/हैण्डलिंग मद में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

यदि चावल मिलर कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान करने में असमर्थ रहता है अथवा कस्टम मिल्ड चावल राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराया जाता तो उतनी मात्रा में कस्टम मिल्ड चावल निर्मित करने में प्रयुक्त हुये धान का मूल्य, नये एस0बी0टी0 का मूल्य तथा अन्य व्ययों की वसूली सम्बन्धित चावल मिलर्स द्वारा सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक के पक्ष में जमा करायी गयी प्रतिभूति से सुनिश्चित की जायेगी।

18(2)–क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा स्टेटपूल योजना में संग्रहित किये गये चावल का लेखा जोखा इस प्रकार रखा जायेगा कि स्टेटपूल में निर्धारित लक्ष्य से अधिक चावल का प्रेषण न होने पावे। क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा जिस संग्रह एजेन्सी के डिपो के लिये कस्टम मिल्ड चावल का मूवमैन्ट चालान निर्गत किया जायेगा चावल उसी निर्दिष्ट संग्रह डिपो पर डिलीवर किया जायेगा। मूवमेन्ट चालानों पर किसी प्रकार की कटिंग/ओवरराइटिंग अनुमन्य नहीं होगी। सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य), गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग द्वारा कटिंग/ ओवरराइटिंग वाले मूवमेन्ट चालानों पर कदापि मिलर्स को भुगतान नहीं किया जायेगा एवं इसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/ सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक तथा खाद्यायुक्त कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

18(3)–आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 में स्टेटपूल डिपोज पर ऐसे कार्मिकों की तैनाती नहीं की जायेगी, जो विगत वर्षों में खरीफ–खरीद योजना में अनियमितता बरतने पर उनके विरूद्ध कोई भी विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में हो।

18(4)–क्रय केन्द्रों से स्टेटपूल डिपोज पर सम्प्रदान किये जाने वाले कस्टम मिल्ड चावल में प्रयुक्त मूवमैन्ट चालानों को क्रय केन्द्र प्रभारी वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा ही निर्गत किया जायेगा। इस हेतु उनके द्वारा अपने नाम की मोहर भी बनायी जायेगी। प्राप्तकर्ता स्टेट पूल डिपो प्रभारियों द्वारा क्रय केन्द्र प्रभारी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक के बिना नाम/हस्ताक्षरयुक्त मूवमेन्ट चालानों पर

प्राप्त चावल को स्वीकार नहीं किया जायेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी केन्द्र प्रभारी बिना भरा (Blank) अथवा अपूर्ण अग्रिम मूवमेन्ट चालान किसी भी दशा में निर्गत नहीं करेगा।

18(5)–इसी प्रकार स्टेटपूल डिपो पर तैनात वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा भी मूवमेन्ट चालान पर अपने नाम की मोहर लगाकर प्राप्ति दी जायेगी। डिपो पर तैनात विपणन निरीक्षक से अन्यून कार्मिकों द्वारा प्राप्ति नहीं दी जायेगी। सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारियों द्वारा भुगतान से पूर्व इस तथ्य का भली–भांति परीक्षण किया जायेगा। उप सम्भागीय विपणन अधिकारी अपने–अपने कार्यक्षेत्रों में इसका अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।

18(6)–न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कच्चा आढ़तिया के माध्यम से क्रय किये गये धान से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान स्टेटपूल/केन्द्रीयपूल में अनिवार्यतः दिनाँक **31.07.2020** तक अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

19–धान के कुटाई से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का भण्डारण :–

19(1)– विकेन्द्रीकृत योजना के अर्न्तगत स्टेटपूल में कस्टम मिल्ड चावल चावल की मात्रा खाद्य विभाग के विभागीय गोदामों तथा राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम से किराये पर लिये गये गोदामों में संग्रहित की जायेगी। राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम गोदामों में प्राप्त कस्टम मिल्ड चावल का संग्रहण करने से पूर्व इसका संयुक्त विश्लेषण सम्बन्धित भण्डारण एजेन्सी व वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम गोदामों में कस्टम मिल्ड चावल संग्रहित होने उपरान्त इसकी गुणवत्ता एवं संग्रहित स्टॉक की सुरक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संग्रह एजेन्सियों के प्रभारियों का होगा। इसी प्रकार विभागीय स्टेटपूल गोदामों में संग्रहित किये गये कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति/संग्रहण उपरान्त गुणवत्ता एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक का होगा। संग्रहण ऐजेन्सियों द्वारा कस्टम मिल्ड चावल कॉमन एवं ग्रेड–ए का लेखा–जोखा पृथक–पृथक रखा जायेगा।

राज्य में स्थित विभागीय, राज्य भण्डारण निगम एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम के प्रत्येक गोदाम में जहाँ स्टेटपूल योजना का कस्टम मिल्ड चावल संग्रहित किया जायेगा, वहाँ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विपणन शाखा का स्टॉफ तैनात किया जायेगा, जो संग्रहित डिपोज से चावल की मात्रा उसकी गुणवत्ता की जाँचोपरान्त ही स्टॉक प्राप्त करेगा और उसे राष्ट्रीय खाद्यसुरक्षा योजना, अन्त्योदय अन्न योजना एवम् Tide Over Allocation में उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा निर्गत रिलीज ऑर्डर के आधार पर निर्गमन करेगा। खाद्यायुक्त/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगें कि जिस वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक की तैनाती धान क्रय–केन्द्र पर होगी उसे कदापि स्टेटपूल डिपो पर तैनात नहीं किया जायेगा।

किसी केन्द्र पर सी0एम0आर0 के संग्रहण हेतु भण्डारण क्षमता की कमी होने पर अतिरिक्त संग्रहण क्षमता की आवश्यकता महसूस होती है तो सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रेषित करेंगे तथा प्राप्त प्रस्ताव खाद्यायुक्त कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा जिस पर आयुक्त खाद्य द्वारा निर्धारित सीमा तक स्वयं तथा अनुमन्य सीमा से अधिक किराये की दरों की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

21–<u>कस्टम मिल्ड चावल का परिवहन</u> :–

कच्चा आढ़तिया द्वारा क्रय धान मिल परिसर से चावल मिल परिसर तक धान के परिवहन तथा उद्ग्रहण उपरान्त चावल मिलों से स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। इस हेतु चावल मिलर को भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 हेतु जारी कॉस्टशीट में दी गयी व्यवस्थानुसार कुटाई/परिवहन दरें अनुमन्य की जायेंगी। जिलाधिकारी द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 हेतु निर्धारित परिवहन दरें अथवा भारतीय खाद्य निगम की दरें,जो भी कम हों, अनुमन्य होंगी। परिवहन व्यय के आंकलन हेतु सम्बन्धित चावल मिल से स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा सत्यापित दूरी अनुमन्य होगी।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा मिलवार/डिपोवार संचरण प्रोग्राम निर्गत करने से पूर्व प्रत्येक वरिष्ठ विपणन अधिकारी से उसके कार्य क्षेत्र में पड़ने वाली चावल मिलों में निर्मित कस्टम मिल्ड चावल की सूचना प्राप्त की जायेगी। तद्नुसार ही संचरण प्रोग्राम निर्गत किया जायेगा।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा जारी संचरण प्रोग्राम के आधार पर प्रेषणकर्ता केन्द्र प्रभारियों द्वारा प्राप्तकर्ता केन्द्र प्रभारियों के साथ आपसी सामन्जस्य स्थापित करते हुए अपने–अपने केन्द्रों पर भण्डारण क्षमता का आंकलन कर तदनुसार सी0एम0आर0 का संचरण किया जायेगा ताकि प्राप्तकर्ता केन्द्र पर अनावश्यक रूप से ट्रक खडे न रहें। यदि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है तो प्रेषणकर्ता केन्द्र प्रभारी के साथ–साथ प्राप्तकर्ता केन्द्र प्रभारी भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा दोषी कार्मिकों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एवं उपसम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा भी इसका नियमित रूप से पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

<u>22–खाद्य नियंत्रण कक्ष एवं खरीद के आँकडों का प्रेषण</u> :–

राज्य स्तर पर धान खरीद की स्थिति के अनुश्रवण एवम् समीक्षार्थ खाद्य नियंत्रण कक्ष, आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड के कार्यालय में स्थापित किया जायेगा, जो दिनाँक 01 अक्टूबर, 2019 से कार्यशील होगा। जनपद स्तर पर तथा सम्भाग स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष खोले जायेंगे। धान खरीद से संबधित एजेन्सीवार एवं जनपदवार सूचना संबधित जनपद के जिला खरीद अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा प्रतिदिन ई–मेल के माध्यम से खाद्य नियंत्रण कक्ष को निर्धारित प्रारूप में प्रेषित की जायेगी। नियंत्रण कक्ष का ई–मेल foodcommfcs@gmail.com है ।

कच्चा आढतिया के माध्यम से की गयी धान कामन/ग्रेड–ए की दैनिक धान खरीद के ऑकडों का प्रेषण करने हेतु सम्भाग स्तर पर अनिवार्य रूप से एक नोडल आफिसर नियुक्त किया जायेगा। नोडल आफीसर द्वारा नियमित रूप से OPMS (Online Procurement Monitoring System) के अर्न्तगत कच्चा आढतिया द्वारा केन्द्रवार/ जनपदवार दैनिक धान खरीद के आँकडे मण्डी आवक सहित संकलित कर खाद्य नियन्त्रण कक्ष, खाद्य आयुक्त कार्यालय एवं भारतीय खाद्य निगम को OPMS में प्रविष्टि हेतु नियमित रूप से उपलब्ध कराये जायेगें ।

23— खरीफ खरीद सत्र 2019—20 में कच्चा आढतियों के माध्यम से धान क्रय की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि कच्चा आढतिया को दिये जाने वाले 01 प्रतिशत् कमीशन की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से धान पर प्राप्त होने वाले प्रशासनिक व्यय से की जायेगी। राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा इसके लिये कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

24— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 141मतदेय/XXVII(5)19-20 दिनांक 20.09.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुशील कुमार),
सचिव

संख्या 754 (i)/19—XIX-2/21 खाद्य/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2— प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
3— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
6— मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल ।
7— सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग/कुमाँयू सम्भाग ।
8— वित्त नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,, उत्तराखण्ड ।
9— क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य/केन्द्रीय भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड द्वारा खाद्यायुक्त।
10— निजी सचिव, मा0 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी उत्तराखण्ड के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित।
11— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
12— नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड ।
13— उपसम्भागीय विपणन अधिकारी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कुमायूँ सम्भाग/गढवाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
14— अध्यक्ष, राईस मिलर्स एसो0, ऊधमसिंहनगर।
15— महाप्रबन्धक, नैफेड, देहरादून।
16— प्रबन्धक, एनसीसीएफ, देहरादून।
17— एनआईसी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार),
सचिव।